

सप्तदश माला, खंड 24, अंक 21

मंगलवार, 28 मार्च, 2023

7 चैत्र, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)



(खंड 24 में अंक 21 से 25 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

बिशन कुमार
निदेशक

संजय कुमार चौधरी
संयुक्त निदेशक

मनोज कुमार
उप निदेशक

आशीष कुमार
संपादक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 24, ग्यारहवां सत्र, 2023 / 1945 (शक)

अंक 21, मंगलवार, 28 मार्च, 2023 / 7 चैत्र, 1945 (शक)

विषय

पृष्ठ संख्या

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 381

11

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 382 से 400

12

अतारांकित प्रश्न संख्या 4371 से 4600

सभा पटल पर रखे गए पत्र	14-26
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	27
शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति	
348वें से 351वां प्रतिवेदन	28
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	29-30
(एक) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	29
श्री हरदीप सिंह पुरी	
(दो) (क) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	29
(ख) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) मांग संख्या 1 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 37 ^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	30

श्री कैलाश चौधरी

नियम 377 के अधीन मामले

31-53

(एक) बिहार के सारण और सिवान जिलों में जल भराव की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण करने के बारे में

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

31

(दो) पश्चिम बंगाल में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के बारे में

श्रीमती लॉकेट चटर्जी

32

(तीन) खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत मिश्रित संसदीय क्षेत्र में स्टेडियमों के निर्माण के बारे में

श्री अशोक कुमार रावत

33

(चार) राजस्थान के भीलवाड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष चंद्र बहेरिया

34

(पाँच) भारत में जी-20 बैठक के बारे में

श्री रतन लाल कटारिया

35-36

(छः) सन्थाल परगना क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के बारे में

डॉ. निशिकांत दुबे

36

(सात) प्रयागराज विमानपत्तन को एक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता तथा भागवतपुर-बेगम बाजार रेल ओवरब्रिज का कार्य पूरा किए जाने के बारे में

श्रीमती केशरी देवी पटेल

37

(आठ) झाड़ग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कंसबती नदी के पूर्वी तट पर सुरक्षा दीवार निर्मित किए जाने के बारे में

श्री कुनार हेम्ब्रम

38

(नौ) अभयारण्य क्षेत्र में होलोक गिबबन की निर्बाध आवाजाही को सुकर बनाने के लिए असम के जोरहाट में हूलोंगापार गिबन अभयारण्य के बीच से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर निर्मित पुल को चौड़ा किए जाने आवश्यकता

श्री तपन कुमार गोगोई

39

(दस) पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित रेल समपारों पर सीमित ऊंचाई के पैदल पार-पथों के निर्माण के बारे में

श्री विष्णु दयाल राम

40

(ग्यारह) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए देश भर में सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए जाने और उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रमाकान्त भार्गव

41

(बारह) 'एक राष्ट्र, एक मतदाता सूची' की शुरुआत किए जाने के बारे में

डॉ. सुकान्त मजूमदार

42

(तेरह) सीमांचल में उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना किए जाने के बारे में

डॉ. मोहम्मद जावेद

43

(चौदह) श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री जी.सेल्वम

44-45

(पंद्रह) इरोड(इंगुर)-पलानी नई ब्रॉड-गेज(बी.जी.) लाइन के बारे में

श्री ए. गणेशमूर्ति

45

(सोलह) विश्व भर में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरियां खत्म होने के बारे में

प्रो. सौगत राय

46

(सत्रह) आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में येलमंचिली में एक हॉकी स्टेडियम सह प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण किए जाने के बारे में

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती

47

(अठारह) कराड-चिपलूम रेल लाइन परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री विनायक भाऊराव राऊत

48

(उन्नीस) बिहार के सहरसा में एम्स की स्थापना किए जाने के बारे में

श्री दिनेश चन्द्र यादव

49

(बीस) सरकारी क्षेत्र की समूह बीमा कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन किए जाने के बारे में

श्री पी.आर. नटराजन

50-51

(इक्कीस) आंध्र प्रदेश में वर्ष 2020-21 से एस.सी./एस.टी. उपयोजना निधियों के उपयोग की लेखा परीक्षा के बारे में

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु

52

(बाईस) राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने के बारे में

श्री हनुमान बेनीवाल

53

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 28 मार्च, 2023 / 7 चैत्र, 1945 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

¹प्रश्नों के मौखिक उत्तर

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न संख्या 381।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.0½ बजे

इस समय सुश्री एस. जोतिमणि, श्री बैन्नी बेहनन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर
सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 381)

¹ प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।
<https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

***प्रश्नों के लिखित उत्तर**

(तारांकित प्रश्न सं. 382 से 400

अतारांकित प्रश्न सं. 4371 से 4600)

माननीय सभापति: यह उचित नहीं है। सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

· प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।
<https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

(श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.0½ बजे

इस समय श्री हैबी ईडन, सुश्री एस. जोतिमणि और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के

निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे**सभा पटल पर रखे गए पत्र**

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 - श्री परषोत्तम रूपाला जी।

... (व्यवधान)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला): महोदया, मैं मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9353/17/23)

... (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदया, मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9354/17/23)

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):
महोदया, डॉ. संजीव कुमार बालियान जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) प्रशासनिक (पशुओं पर परीक्षणों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए समिति) नियम, 2023 जो 6 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 82(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (अंडा देने वाली मुर्गियां) नियम, 2023 जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 139(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9355/17/23)

((2) पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 4990 (अ) जो 20 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जून, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.1495(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.191(अ) जो 11 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जून, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.1495(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9356/17/23)

- (3) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9357/17/23)

... (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): महोदया, श्री नित्यानन्द राय जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग (अराजपत्रित)(संशोधन) भर्ती नियम, 2023 जो 9 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 174(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9358/17/23)

- (2) [हिन्दी] राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9359/17/23)

... (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार-राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर) (2023 का संख्यांक 3)-सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी आवेदन की आईटी लेखापरीक्षा।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9360/17/23)

- (2) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार-राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर (2023 का संख्यांक 4)-धारा 281ख के अधीन आईटीडी द्वारा किसी निर्धारिती की संपत्ति जब्त करने के बारे में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9361/17/23)

- (3) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार-(2022 का संख्यांक 3)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9362/17/23)

- (4) [हिन्दी] 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार-(2023 का संख्यांक 1)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9363/17/23)

... (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (पहला संशोधन) नियम 2023 जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचनासं.सा.का.नि. 140(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9364/17/23)

- (2) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9365/17/23)

- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विजयवाड़ा का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रकमहालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9366/17/23)

(ख) (एक) हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रकमहालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9367/17/23)

(ग) (एक) पंजाब स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रकमहालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9368/17/23)

- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9369/17/23)

... (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक): महोदया, श्री ए. नारायणस्वामी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

- (1) इंडियन स्पाइनल इन्ज्यूरीज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9370/17/23)

... (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) एन.सी. चतुर्वेदी स्कूल फॉर द डेफ, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एन.सी. चतुर्वेदी स्कूल फॉर द डेफ, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9371/17/23)

- (3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9372/17/23)

- (5) (एक) राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9373/17/23)

- (7) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9374/17/23)

- (9) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9375/17/23)

(11) (एक) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9376/17/23)

(13) (एक) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9377/17/23)

- (15) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9378/17/23)

- (17) (एक) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9379/17/23)

- (19) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद विजुएल डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद विजुएल डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9380/17/23)

- (21) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, मदुरै के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, मदुरै के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9381/17/23)

[अनुवाद]

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ: -

- (1) आकाशवाणी सहायक निदेशक (राजभाषा) की एक प्रति 1990 की धारा 34 के अंतर्गत आकाशवाणी सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2023 जो 23 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि.123(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9383/17/23)

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9384/17/23)
- (2) युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9385/17/23)

.. (व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 2.03 बजे**सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति**

[हिन्दी]

माननीय सभापति: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 27 मार्च, 2023 को सभा में प्रस्तुत अपने दसवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए:-

1.	श्री संजय शामराव धोत्रे	13.03.2023 से 06.04.2023
2.	श्री अतुल कुमार उर्फ अतुल राय सिंह	13.03.2023 से 06.04.2023
3.	श्री गिरीश भालचन्द्र बापट	13.03.2023 से 06.04.2023
4.	श्री अकबर लोन	25.07.2022 से 08.08.2022, 07.12.2022 से 23.12.2022, 31.01.2023 से 13.02.2023 और 13.03.2023 से 23.03.2023,

क्या सभा की यह इच्छा है कि समिति द्वारा अनुशंसित अनुमति प्रदान की जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हाँ।

माननीय सभापति: अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 2.03 बजे

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति

348वां से 351वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): महोदया, मैं शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (एक) उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 348वां प्रतिवेदन ।
- (दो) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 349वां प्रतिवेदन ।
- (तीन) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 350वां प्रतिवेदन ।
- (चार) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 351वां प्रतिवेदन ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 2.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी: महोदया, मैं आपकी अनुमति से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 2.04^{1/2} बजे

(2)(क) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): महोदया, मैं कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या क्रमशः एल.टी 9350/17/23 और 9351/17/23

(ख) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023)-मांग संख्या 1 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): महोदया, मैं कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) मांग संख्या 1 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 37 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

... (व्यवधान)

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. संख्या 9352/17/23।

अपराह्न 2.06 बजे**नियम 377 के अधीन मामले***

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

... (व्यवधान)

(एक) बिहार के सारण और सीवान जिलों में जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार राज्य के सिवान और सारण जिला में बंटा हुआ है। इन दोनों जिलों के कई प्रखंडों की हजारों एकड़ जमीन में बारहों मास जलजमाव रहता है। जल-जमाव रहने के कारण किसान इन जमीनों में खेती नहीं कर पाते और मत्स्यपालक मत्स्यपालन भी नहीं कर पाते। इस परिस्थिति में इस जल-जमाव वाले बड़े क्षेत्र में फ्लोटिंग सौर उर्जा संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादन किया जा सकता है तथा इससे उत्पादित बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर हमारे संसदीय क्षेत्र सहित आस-पास के क्षेत्रों की जनता को इसका लाभ दिलाया जा सकता है। अतः विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से मेरा आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज के सारण और सिवान जिलों में जल-जमाव वाली हजारों एकड़ जमीन में तैरता सौर उर्जा संयंत्र लगवाया जाये जिससे कि बिजली की कमी को दूर किया जा सके।

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(दो) पश्चिम बंगाल में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के मेरे प्रस्तावों को प्रस्तुत किए जाने के बाद विभिन्न दलीलों के आधार पर इन्हें 1-3 वर्षों तक रोके रखा गया। मैं ज्ञापन संख्या (एम.पी./एच.जी./एमपीएलएडीएस/21-221/09 दिनांक: 21.12.21) से इसका एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहती हूँ। यह 1 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव है। राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग को 38 सोलर हाई-मास्ट लाइट लगानी थी। लेकिन उक्त कार्य का 50% भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हुगली के लोग विकास कार्यों से वंचित हो रहे हैं।

ज्ञापन संख्या एलसी/एमपीएलएडीएस/2022/080 के माध्यम से मैंने एक बार फिर 57 सोलर हाई-मास्ट लाइटों के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके लिए अनुमानित निधि 2 करोड़ रुपये से अधिक थी। अभी तक कोई निविदा जारी नहीं की गई है और जिला अधिकारी और अन्य अधिकारी फोन कॉल नहीं उठाते हैं। हाई-मास्ट लाइटों के अलावा, मुझे अन्य कार्यों जैसे छात्रों के लिए स्कूल, स्थानीय लोगों के लिए वॉटर डिस्पेंसर, आने-जाने की सुविधा के लिए छोटे बाई-रोड, बस यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय आदि अन्य सुविधाओं को स्थापित करने हेतु कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मौखिक रूप से किए गए अनुरोधों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। मैंने अपने लेटरहेड पैड के माध्यम से भी लिखित रूप में अनुरोध किया है।

इसलिए, मैं संबंधित माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि वे इस मामले का तुरंत संज्ञान लें।

(तीन) खेलो इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत मिश्रित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्टेडियम की स्थापना के संबंध में

[हिन्दी]

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रित): यह हमारे लिए गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माध्यम से देश में खेल की स्थिति व स्तर में सुधार करने, खेलों को बढ़ावा देने एवं नई प्रतिभाओं को तलाशने के उद्देश्य से 'खेलो इंडिया कार्यक्रम' योजना क्रियान्वित की है जिसके माध्यम से व्यक्तिगत विकास, समुदायिक विकास, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास हेतु आयाम तैयार करना है।

मैं अपने मिश्रित संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों की युवा प्रतिभा को आगे लाने के लिए 'खेलों इंडिया कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत बिल्हौर, संडीला और मिश्रित में स्टेडियम की स्थापना किए जाने हेतु पत्र के माध्यम से माननीय युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री जी से कई बार निवेदन कर चुका हूं।

मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के बिल्हौर, संडीला और मिश्रित में "खेलो इंडिया कार्यक्रम" योजना के अंतर्गत स्टेडियम की स्थापना किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

(चार) राजस्थान के भीलवाड़ा में एसआईसी अस्पताल को आदर्श अस्पताल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा में लगभग 1 लाख कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अंशदान जमा कराते हैं तथा 3 से 4 लाख लोग लाभार्थी हैं। यहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल है, जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित है, वर्तमान में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इससे जुड़ा होना इसके बावजूद भी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाना गंभीर बात है। भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी होने के कारण लाखों की संख्या में मजदूर एवं उनके परिवार इलाज के लिए भटकते हैं, इस कारण यहां पर मॉडल अस्पताल की आवश्यकता है। मैं श्रम एवं रोजगार मंत्री महोदय, भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि भीलवाड़ा राजस्थान के ईएसआई हॉस्पिटल को भारत सरकार अपने अधीन लेकर मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करे इसके लिए भीलवाड़ा ईएसआई हॉस्पिटल के पास वर्तमान में पर्याप्त भूमि एवं भवन उपलब्ध हैं।

(पांच) भारत में जी-20 बैठक के बारे में

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली जी-20 की अध्यक्षता प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत के लोकतंत्र का यह मंदिर यानि कि संसद निश्चित तौर पर जी-20 देशों की अध्यक्षता करते हुए अपनी उपलब्धियों को विश्व के साथ साझा कर सकता है। हम सब भारत की संसद के सदस्यगण भारत की विविधता और अनेकता में एकता के संदेश को प्रसारित कर सकते हैं। भारत का कोविड प्रबंधन विश्व के लिए अनुकरणीय रहा है, और विश्व की सभी संस्थाओं ने भारत की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने, न केवल अपने प्रबंधन को बेहतरीन रखा, बल्कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति भी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाली (इंडोनेशिया) में हुए जी-20 अधिवेशन के दौरान निभाई गई भारत की भूमिका के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की है, और सभी देशों ने भारत के प्रधानमंत्री जी के इस संदेश की सराहना की है कि यह वक्त युद्ध का नहीं बल्कि शांति का है।

भारत की यह महान संसद जी-20 के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध, एशिया में चीन के आक्रमक तेवर, विश्व में बढ़ती हुई महंगाई, भारत का जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण संरक्षण का अभियान, यूपीआई के माध्यम से भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति, ग्रामीण भारत में हाई स्पीड इंटरनेट, भारत में डिजिटल साक्षरता अभियान, डी.बी.टी के माध्यम से लीकेज पर लगाम लगाकर भ्रष्टाचार को खत्म करना, फर्जी लाभार्थियों का सफाया करना, भारत की टेक्नोलॉजी का भारत में नई शक्ति के रूप में उभरना, भारत के यूनिकॉर्न में जबरदस्त वृद्धि होना, भारत में आई व्यापार करने की सुगमता से कारोबार को पंख लगाना व सुधार की दिशा में बढ़ते कदम आदि कुछ ऐसे विषय हैं, जिन पर भारत की संसद चर्चा करके वर्ष 2023 में होने वाले जी-20 सम्मेलन को सार्थक बना सकते हैं। आज भारत खाद्यान्न, ईंधन व आर्थिक असमानता व एसडीजी (एस.डी.जी) पर चर्चा करके सार्थक पहल कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि भारत में जी -20 की हो रही बैठक की सफलता के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराये।

(छह) संथाल परगना क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): झारखंड राज्य में दो प्रमुख क्षेत्र हैं, संथाल परगना और छोटा नागपुर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नक्सलवाद का प्रसार हताशा और अलगाव की भावना का एक संकेत है जो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के बड़े हिस्से में व्याप्त है जिन्हें न केवल व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा गया है, बल्कि उनकी अपनी मातृभूमि में ही उनका क्रूरतापूर्वक शोषण किया गया है और वहां से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। संथाल परगना की सामाजिक-आर्थिक समस्या को ध्यान में रखते हुए जहां कृषि आय का मुख्य स्रोत है, हम व्यापक कार्य योजना की तत्काल आवश्यकता देखते हैं जहां रोजगार अनुकूल शिक्षा के अच्छे और समान अवसर पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है।

संथाल परगना के देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और दुमका जिले देश के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में गिने जाते हैं। स्वास्थ्य, साक्षरता, शिक्षा, आय आदि के आंकड़ों पर नज़र डालने से लोगों की दयनीय स्थिति की भयावह तस्वीर सामने आती है।

झारखंड में भारत के खनिज संसाधनों का 40% मौजूद है, लेकिन संसाधनों तक पहुंच से आम लोगों के जीवन में मामूली फ़र्क पड़ा है। अभी भी गरीबी और अज्ञानता, साक्षरता की कम दर, स्कूल में कम उपस्थिति और बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने का कारण हैं।

यहाँ तीन केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है। संथाल परगना क्षेत्र में जरमुंडी (दुमका), देवघर और महगामा (गोड्डा) इसके लिए आदर्श स्थल होंगे।

**(सात) प्रयागराज हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नत करने और भगवतपुर-
बेगम बाजार रेलवे ओवरब्रिज को पूरा किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): प्रयागराज पर एअरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शुभारम्भ 16 दिसम्बर, 2018 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा हुआ था। वर्तमान समय में प्रयागराज एअरपोर्ट से लगभग 16 फ्लाइट आवागमन कर रही हैं, इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः सरकार से निम्नलिखित कार्य करने के लिये विनम्र निवेदन है:- प्रयागराज एअरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एअरपोर्ट है एवं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। प्रयागराज एअरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट बनाया जाये क्योंकि इसका आकार बढेगा तो यहाँ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यहाँ के बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में कार्यरत हैं और अन्य पूर्वांचल के जिलों एवं मध्य प्रदेश के सटे हुए जिलों के निवासियों को भी इसका लाभ होगा। प्रयागराज में 2025 में महाकुम्भ होना है जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं का आवागमन होगा। इसलिए आने वाले महाकुम्भ-2025 को ध्यान में रखते हुए भी प्रयागराज को अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट बनाना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि महाकुम्भ में लोगों की विशेष आस्था है। इसमें शामिल होने के लिये लोग सम्पूर्ण भारत एवं समस्त राज्यों से आयेंगे और उन्हें यात्रा करने में किसी भी प्रकार की बाधा ना आये इसके लिये कुछ मार्ग जैसे प्रयागराज-कोलकाता-प्रयागराज, चेन्नई-प्रयागराज, प्रयागराज-नागपुर-हैदराबाद-नागपुर-प्रयागराज, प्रयागराज-आगरा-जयपुर-आगरा और प्रयागराज-पटना-प्रयागराज पर भी विमान यात्रा शुरू की जाये तो जनहित के लिहाज से अनुकूल होगा। यह भी संज्ञान में लाया जाता है कि प्रयागराज एअरपोर्ट पर नाईट लैंडिंग की सुविधाएं हैं लेकिन अभी तक रात में विमानों का आवागमन शुरू नहीं किया गया है क्योंकि सेना की तरफ से अनुमति नहीं मिल रही है। एअरपोर्ट में पहुचने के लिये निर्माणाधीन भागवतपुर- बेगम बाज़ार रेलवे ओवर ब्रिज, जिसका लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है एवं वायुसेना की तरफ से एन०ओ०सी० न मिलने की वजह से रुका पड़ा है, का कार्य भी तत्काल पूर्ण करवाने की कृपा करें।

(आठ) झाड़ग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कंसबती नदी के पूर्वी तट पर सुरक्षा दीवार के निर्माण के बारे में

[अनुवाद]

श्री कुनार हेम्ब्रम (झाड़ग्राम): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र झाड़ग्राम में कंसबती नामक एक नदी है; जोकि बारा पलाशी और छोटा रथीदंगा मौजा के बीच से होकर बहती है। झाड़ग्राम विधान सभा के बैत आंचल के अंतर्गत बारा पलाशी, छोटा पलाशी और छोटा रथीदंगा मौजा में मुख्य रूप से किसान निवास करते हैं। वर्तमान में नदी उस क्षेत्र से होकर बहती है जिसके आसपास चार दशक पहले गांव हुआ करते थे। लेकिन बाद में 1978 की बाढ़ ने परिदृश्य बदल दिया और वर्तमान में, वे गांव इस मौजा के पूर्वी किनारे पर स्थित हैं।

मानसून के दौरान नदी की गहराई बढ़ने के कारण रेतीले तटों पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है। गांवों के लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कहीं प्रत्येक वर्ष रेत के टीले टूटते न रहें। आसपास के गांव नदी में डूब जाएंगे। पक्की रोड नदी से 5-10 मीटर की दूरी पर स्थित है जो अगले कुछ वर्षों में नदी में लुप्त हो जाएगी और तीनों मौजा नदी में विलीन हो जाएंगे।

इसलिए, मैं संबंधित मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उपरोक्त मौजों में कंसबती नदी के पूर्वी तट पर लगभग 2 किमी की सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाए और जनता, उनकी भूमि और गांवों की रक्षा की जा सके।

(नौ) अभयारण्य क्षेत्र में होलोक गिबबन्स की निर्बाध आवाजाही को सुकर बनाने के लिए असम के जोरहाट में होलोनगापर गिबबन अभयारण्य के बीच से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर निर्मित पुल को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता

श्री तपन कुमार गोगोई (जोरहाट): यह गंभीर चिंता का विषय है कि एप होलोक गिबबन केवल भारत में पाया जाता है, असम के जोरहाट में होलोनगापर गिबबन अभयारण्य रेलवे ट्रैक द्वारा दो भागों में विभाजित है। होलोक गिबबन की खासियत यह है कि वे कभी भी पेड़ से उतरकर जमीन पर नहीं आते। चूंकि गिबबन जीवन भर अपने एक ही साथी के साथ रहते हैं और पारिवारिक संबंधों के भीतर संभोग नहीं करते हैं, इसलिए छोटे क्षेत्र में फंसे हुए इनके परिवार प्रजनन नहीं कर पाते और इसी वजह से इनकी संख्या घट रही है। वे जंगल के अपने क्षेत्र में खाद्य संसाधनों के समाप्त होने के कारण भी पीड़ित हैं। एक रेलवे ट्रैक ने जंगल के जानवरों को दो अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। गिबबन के तीन परिवार समूह लगभग 150 हेक्टेयर के छोटे क्षेत्र में रहते हैं, जो 1,950 हेक्टेयर के बड़े क्षेत्र में 23 परिवारों से अलग हैं। 2015 में रेलवे ट्रैक पर बनाया गया पुल जंगल में पेड़ों की ऊपरी परत तक नहीं पहुंचता है, और इसीलिए गिबबन जंगल में जाने के लिए पुल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं रेल मंत्रालय से तत्काल कदम उठाने का आग्रह करूंगा ताकि वर्तमान संकीर्ण पुल को चौड़ा किया जा सके ताकि गिबबन्स का पूरा परिवार एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक साथ चल सके और पुल को दोनों तरफ पेड़ों या फॉरेस्ट कैनोपी से जोड़ा जाना चाहिए।

(दस) पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित रेल समपारों पर सीमित ऊंचाई के पैदल पार पथों के बारे में

[हिन्दी]

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कतिपय रेलवे क्रासिंग पर सीमित ऊंचाई के पैदल पार पथ बनाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि इन स्थानों की रेलवे क्रासिंग अधिकृत नहीं है, अतः रेलवे मंत्रालय इन स्थानों पर सीमित ऊंचाई के पैदल पार पथ बनाने के लिए इच्छुक नहीं है और मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकार चाहे तो इन स्थानों पर संयुक्त योजना के अंतर्गत सीमित ऊंचाई के पैदल पार पथ बना सकती है।

उल्लेखनीय है कि एक सीमित ऊंचाई के पैदल पार पथ को बनाने में 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि लगती है। रेलवे या राज्य सरकारों के लिए यह बहुत बड़ी राशि जनता को आवागमन में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए अधिक नहीं लगती है।

अतः माननीय रेल मंत्री जी से माँग करता हूँ कि आकांक्षी जिलों के लिए यह कार्य मंत्रालय के द्वारा कर दिया जाय। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे सीमित ऊंचाई के पैदल पार पथों की आवश्यकता पलामू जिला अंतर्गत विश्रामपुर प्रखंड के लालगढ़, पंजरीकला, हैदरनगर प्रखंड के डाली, हुसैनाबाद प्रखंड के कजरात नावाडीह, सदर प्रखंड के बुढ़वापीपर एवं बखारी एवं गढ़वा जिला अंतर्गत गढ़वा प्रखंड के सोनपुरवा, नगर उटारी प्रखंड के अहिरपुरवा, मेराल प्रखंड के कुम्भी में है। माननीय मंत्री महोदय कृपया इस पर ध्यान देने का कष्ट करें।

(ग्यारह) पूरे देश में सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाने और सड़कों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रमाकान्त भार्गव (विदिशा): देश के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विगत तीन वर्षों में 500 मीटर दायरे में 05 गंभीर सड़क दुर्घटनाएं अथवा 10 मृत्यु घटित हुई हैं को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है। देश में नेशनल हाइवे के लगभग 3750 स्थान हैं एवं अन्य सड़कों को मिलाकर लगभग 5803 ब्लैक स्पॉट हैं। देश में सबसे ज्यादा ब्लैक स्पॉट वाले राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैण्ड हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इन जगहों पर वर्ष 2016 से 2018 में 79 हजार दुर्घटनाएं हुईं जिसमें 39 हजार से ज्यादा लोगों को जान गवानी पड़ी। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि देश के सभी सड़क मार्गों पर ब्लैक स्पॉट स्थलों को चिन्हित किया जावे एवं उन्हें प्राथमिकता के अनुसार उसमें सुधार किया जावे, जिससे देश में ब्लैक स्पॉट के स्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

(बारह) 'एक राष्ट्र, एक मतदाता सूची' शुरू किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): हमें मूल निर्वाचन सूची तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने और भूले हुए प्रवासी मतदाताओं को सशक्त बनाने के लिए देश में 'एक राष्ट्र एक मतदाता' पहचान पत्र आरम्भ करना चाहिए। देश में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' की शुरुआत किसी भी उचित मूल्य की दुकान से प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए की गई थी। यह एक बड़ी सफलता है और आज कोई भी राशन कार्ड धारक देश की किसी भी राशन की दुकान से अपना राशन ले सकता है।

देश की चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए आधार नंबर को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने पर 'एक राष्ट्र, एक मतदाता सूची' पहल से चुनाव प्रक्रिया में सुधार होगा। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हमें निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए 'एक राष्ट्र, एक मतदाता सूची' और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के बारे में विचार-विमर्श करते रहना चाहिए जिससे देश में मतदान प्रक्रिया में सुधार होगा।

(तेरह) सीमांचल में उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना किए जाने के बारे में

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): 2011 की जनगणना के अनुसार सीमांचल में साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या को देखते हुए, 38 में से 25 जिले शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर हासिल करने के लिए राज्य को अतिरिक्त 373 सामान्य कॉलेज, 236 इंजीनियरिंग कॉलेज, 139 मेडिकल कॉलेज, 253 शैक्षणिक कॉलेज और 163 पॉलिटेक्निक की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति (एन.ई.पी.), 2020 में उल्लेख किया गया है कि सभी की समग्र पहुँच, समानता और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों में अधिक संख्या में उच्च शिक्षा संस्थाएँ (एच.ई.आई.एस) स्थापित और विकसित की जायेंगी। वर्ष 2030 तक, प्रत्येक जिले में या उसके निकट कम से कम एक बड़ी बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान (एच.ई.आई.) होगा। सीमांचल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, नर्सिंग और पशु चिकित्सा कॉलेज और एक महिला कॉलेज स्थापित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निम्नलिखित की यहाँ अत्यधिक अविलम्बनीय आवश्यकता है -

1. सरकारी मेडिकल कॉलेज- किशनगंज
2. डेंटल कॉलेज- बैसी
3. नर्सिंग कॉलेज- ठाकुरगंज, कोचाधामन, अमौर

(चौदह) श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. सेल्वम (कंचीपुरम): श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर क्रूर हमले बढ़ रहे हैं। अत्यंत वेदना के साथ, मैं एक महीने के भीतर घटी तीन अलग-अलग घटनाओं को रिकॉर्ड कराना चाहता हूं।

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने 13 मार्च, 2023 को प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें 12 मार्च को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए नागापट्टिनम और पुदुकोट्टई के 16 मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की गई है।

एक महीने के भीतर यह तीसरी घटना थी और बारंबार होने वाली घटनाओं से गरीब मछुआरों की आजीविका खत्म हो जाती है और उनके मन में भय का माहौल भी उत्पन्न हो जाता है। मछुआरों को कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

वर्तमान में, मछली पकड़ने की 102 नौकाएं श्रीलंका की हिरासत में हैं और श्रीलंका द्वारा छोड़ी गई छह नौकाओं को अभी तक वापस नहीं लाया गया है।

इससे पहले, तमिलनाडु के थेंगपट्टिनम फिशिंग हार्बर से मछली पकड़ने के लिए निकले 16 भारतीय मछुआरों (तमिलनाडु के 6 मछुआरे, केरल के 7 मछुआरे और पश्चिम बंगाल के 3 मछुआरे) को उनकी मशीनीकृत मछली पकड़ने की नौका के साथ ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी (बीआईओटी) के डिएगो गार्सिया के अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया।

एक अन्य घटना में, थारंगमबाड़ी, मयिलादुथुराई जिले के छह मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना के कर्मियों ने लोहे की रस्सी से क्रूर हमला किया।

यह हमला सभी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और अभिसमयों का घोर उल्लंघन है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस मामले को राजनयिक चैनलों का उपयोग करके संबंधित अधिकारियों के साथ उठाए ताकि सभी भारतीय मछुआरों और उनके मछली पकड़ने के पोत की तुरंत रिहाई सुनिश्चित की जा सके।

(पंद्रह) इरोड(इंगुर)-पलानी नई ब्रॉड गेज (बी.जी.) लाइन के बारे में

श्री ए. गणेशमूर्ति (इरोड): रेलवे बजट 2005-2006 में चेन्निमलाई, कांगेयम, धारापुरम से होते हुए इरोड (इंगुर)-पलानी नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए टोही इंजीनियरिंग-सह-यातायात सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था। हालाँकि, वर्ष 2007 में, इस परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी गई और पूरे सर्वेक्षण को अलाभकारी लाइन की आड़ में स्थगित कर दिया गया। अब, क्या यह लाभकारी है। क्या इसके बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है?

यह प्रसिद्ध मंदिर शहर पलानी को जोड़ने वाली लगभग 100 कि.मी. लम्बी नई लाइन है। पिछली सर्वेक्षण लाइन में, एक सौर संयंत्र तथा अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और संयंत्र प्रस्तावित हैं। अब, क्या यह लाभकारी है?

मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष के बजट में इस नई ब्रॉड गेज लाइन के सर्वेक्षण के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हालाँकि, रेल मंत्रालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रस्तावित बी.जी. लाइन के संरेखण में कुछ बदलाव होगा क्योंकि पहले की सर्वेक्षण लाइन में बहुत सारी परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं और इसका असर मौजूदा औद्योगिक विकास पर पड़ेगा।

(सोलह) विश्व भर में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरियां खत्म होने के बारे में

प्रो. सौगत राय (दम दम): संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर छंटनी की वजह से केवल तीन महीने के भीतर लगभग 2 लाख भारतीय आईटी कर्मचारियों की नौकरी चली गई। देश में बने रहने के लिए, वे अब नए रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और बढ़ती मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीति और धीमी आर्थिक वृद्धि जैसे संबंधित प्रभावों की मार झेल रहे वर्ष के बाद वर्ष 2023 की शुरुआत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सिलसिलेवार छंटनी से हुई।

दुनिया भर में छंटनी का असर लगभग सभी क्षेत्रों पर पड़ा है किन्तु तकनीकी क्षेत्र पर इसका सबसे बुरा असर पर पड़ा है। टेक कंपनियां दो वर्षों तक वैश्विक महामारी के कारण हुई वृद्धि के बाद मांग में गिरावट का सामना कर रही हैं, जिसके दौरान उन्होंने तेजी से भर्ती की थी। निकाले गए 30 से 40% श्रमिक भारतीय आई टी पेशेवर हैं, जिनमें से अधिकांश एच1बी और एल1 वीजा धारक हैं। इसके बाद भारत में भी इसका असर शुरू हो गया। मैं सरकार से इस समस्या का समाधान करने हेतु तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

(सत्रह) आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के येलमंचिली में एक हॉकी स्टेडियम व प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किए जाने के बारे में

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यावती (अनकापल्ले): येलामंचिली आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले का एक शहर है। इस शहर ने भारत और विदेशों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिए हैं। उचित हॉकी मैदान, कोचिंग सेंटर के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, खिलाड़ियों को पहले अपने प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद जाना पड़ता था, लेकिन विभाजन के बाद, आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया है, लेकिन अलग राज्य बनाने के बाद, आंध्र प्रदेश राज्य संसाधनों और वित्त पोषण की कमी से जूझ रहा है। अनकापल्ले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया युवा मामले और खेल मंत्रालय के बजट से अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक हॉकी स्टेडियम सह प्रशिक्षण केंद्र बनाने की मंजूरी दें ताकि येलमंचिली देश के लिए शहर अधिक प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ियों को तैयार कर सके।

(अठारह) कराड-चिपलून रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): मेरे संसदीय क्षेत्र रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में चिपलूनकराड रेलवे के ग्राउंडब्रेकिंग का काम कर परियोजना अनुबंध शापूरजी पालनजी कंपनी को दिया गया था। सरकार के इस साल के बजट में इस परियोजना को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है इस परियोजना के अंतर्गत रेलवे ने दो रूटों को मंजूरी दी थी। यह मार्ग निर्माण होने से कराड से सीधे मिराज जाना संभव होगा और अन्य विकल्पों की तुलना में सुविधाजनक और आर्थिक रूप से वहनीय होगा! पूर्व में चिपलून से कराड रेलवे मार्ग को सर्वेक्षण कार्य के साथ ही इस रूट का पूरा प्लान तैयार कर भूमि पूजन भी किया और अघाड़ी सरकार ने राज्य की ओर से बारह सौ करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने का प्रावधान कर केंद्र सरकार से इस परियोजना को शुरू करने की पहल की थी। लेकिन वर्तमान बजट में इस प्रोजेक्ट की अनदेखी हुई है, जिसके कारण यह चिपलून-कराड रेलवे मार्ग आज भी उपेक्षित है। इस संबंध में क्षेत्रीय लोगों ने भी नाराजगी व्यक्त की है। अतः सरकार से अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू किया जाये।

(उन्नीस) सहरसा, बिहार में एम्स की स्थापना किए जाने के बारे में

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): बिहार राज्य के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज जिले अत्यंत पिछड़े हैं। इन क्षेत्रों में किडनी, कैंसर, हृदय, लीवर एवं अन्य गंभीर बीमारियों के रोगी काफी बड़े पैमाने पर हैं। इन क्षेत्रों में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। गरीबी के कारण लोग बाहर जाकर इलाज नहीं करा पाते हैं और तड़पतड़प कर मर जाते हैं। उत्तर बिहार का प्रमुख शहर सहरसा प्रमंडलीय मुख्यालय है। यह एन.एच. एवं बड़ी रेल लाइन से जुड़ा हुआ है। जिला पदाधिकारी, सहरसा ने सहरसा में एम्स निर्माण करने के लिए 217.74 एकड़ जमीन उपलब्ध होने की जानकारी बिहार सरकार को दी थी। लेकिन राज्य सरकार द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बगल में एम्स निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई गयी थी। एम.सी.आई . दिल्ली ने उस जमीन को एम्स के लिए अनुपयोगी मानकर अस्वीकृत कर दिया। जानकारी मिली है कि दरभंगा एम्स के लिए पुनः जो जमीन उपलब्ध कराई जा रही है वह 15-20 फीट गड्ढे में है। दरभंगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उक्त स्थल पर एम्स निर्माण होने से वह सदा असुरक्षित रहेगा एवं उसकी उपयोगिता सार्थक नहीं होगी। मेरा आग्रह है कि सरकार जनहित में उत्तर बिहार के सहरसा में एम्स का निर्माण करायें।

(बीस) सरकारी क्षेत्र की समूह बीमा कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री पी.आर.नटराजन (कोयम्बटूर): अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) योजना के बदले 01.01.1986 से भूतलक्षी प्रभाव सहित 1995 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में जीवन और सामान्य दोनों तरह की पेंशन योजना शुरू की गई। यह योजना केंद्रीय सिविल सेवा कर्मिकों के लिए केंद्रीय सिविल पेंशन नियमों, 1972 के आधार पर बनाई गई थी। लेकिन, वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप पेंशन का आवधिक संशोधन/अद्यतन, जैसा कि 1 जनवरी 1996 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया गया था, पूर्ववर्ती केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर बीमा पेंशनभोगियों को नहीं दिया गया। इसलिए, बीमा पेंशनभोगियों, विशेष रूप से पिछले वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति की तारीख पर निर्धारित पेंशन का भुगतान किया जाता है।

मृतक कर्मचारी/पेंशनभोगी के अंतिम आहरित वेतन की 15% की दर से पारिवारिक पेंशन निर्धारित की गई थी। अब पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान की जा रही मामूली राशि, पारिवारिक पेंशनभोगियों के अस्तित्व के लिए पर्याप्त नहीं है। उनमें से अधिकांश अत्यधिक गरीब हैं। बहुत अनुनय और संगठनात्मक कार्यों के बाद, एलआईसी के प्रबंधन ने पारिवारिक पेंशन को बिना किसी सीमा के अंतिम आहरित वेतन की 30% की एक समान दर से बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस संबंध में एलआईसी बोर्ड की सिफारिश सितंबर, 2019 में भारत सरकार को भेजी गई थी। पीएसजीआई कंपनियों ने भी इस मांग पर सहमति व्यक्त की और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के सर्वसमावेशी संगठन, सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमा संघ (जीआईपीएसए) की सिफारिश को भी दिसंबर, 2021 में सरकार को भेजा गया था। लेकिन यह मामला अभी भी सरकार के पास मंजूरी और अधिसूचना के लिए लंबित है। चूंकि इसे पहले ही भारतीय रिज़र्व बैंक और

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यान्वित किया जा चुका है और इस पर सम्मेलन में चर्चा की गयी थी, और अंगीकृत प्रस्ताव को माननीय वित्त मंत्री को भेजा गया था लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमने 22.06.2022 को एलआईसी और जिप्सा के सभापतियों को पत्र लिखे और इस मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए उनके प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की। चूंकि कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहा था, इसलिए हमने पूरे देश में 4 अगस्त, 2022 को एलआईसी/पीएसजीआई कंपनियों के सभी कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करके सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को शामिल करते हुए संगठनात्मक कार्रवाई की। इसके बाद माननीय वित्त मंत्री को कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ।

मैं केंद्र सरकार से इस मामले पर ध्यान देने और उन्हें बीमा पेंशनभोगियों की उपरोक्त वास्तविक और पूरी तरह से न्यायोचित मांग को पूरा करने के लिए हर संभव सहायता और मदद देने का अनुरोध करता हूँ।

(इक्कीस) आंध्र प्रदेश में वर्ष 2020-21 से एस.सी./एस.टी.उप योजना निधियों के उपयोग की लेखा

परीक्षा के बारे में

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में एस.सी.उपयोजना और उपयोजना निधि की 10,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कथित तौर पर अन्यत्र उपयोग की गयी है। यहां तक कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित धनराशि का भी कम उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए निर्धारित एससी उप-योजना निधि का केवल 76% उपयोग किया गया। केंद्र ने 2020 और 2022 के बीच 'अनुच्छेद 275(1)के तहत 'अनुदान सहायता' के रूप में आंध्र प्रदेश को 4693 करोड़ रुपये जारी किए। राज्य सरकार ने बताया कि दोनों वर्षों में इसका उपयोग शून्य है, जो आदिवासियों के प्रति सरकार की लापरवाही को दर्शाता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उप-योजनाओं का विस्तार निर्वाचित राज्य विधानसभा की जांच के तहत नहीं किया गया था, बल्कि इसे एक कार्यकारी अध्यादेश द्वारा किया गया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास के लिए निर्धारित धन का अन्यत्र उपयोग करके, (वाईसीपी शासित) आंध्र प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात भी है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले का संज्ञान ले और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उपयोजना निधि के उपयोग की लेखा परीक्षा कराए।

(बाईस) राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र व जिला नागौर के क्रमशः खींवसर, परबतसर, डीडवाना तथा मेड़ता में नवीन केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की तरफ आकर्षित करते हुए उन्हें यह अवगत करवाना चाहता हूं कि मेरे द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही है जिसके क्रम में जिला कलेक्टर नागौर ने शासन-उप सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान के माध्यम से निर्धारित प्रपत्रों में उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को प्रस्ताव प्रेषित किए थे, चूंकि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भौतिक निरीक्षण में कुछ कमियां पाई गई जिसके क्रम में जिला कलेक्टर द्वारा 3 नवंबर 2021 को क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को पाई गई कमियों को दुरुस्त करवाने की बात कही थी। चूंकि 25 मार्च, 2022 को क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था और उक्त समिति ने जो कमियां पाई उनके समाधान हेतु आप पुनः क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर को निर्देशित करें कि कमियों का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। उस हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन, जयपुर जिला प्रशासन नागौर से समन्वय स्थापित करें तथा लगातार व जल्द से जल्द उन कमियों में सुधार हेतु आवश्यक तकनीकी मदद भी जिला प्रशासन नागौर की करें। मेरा संसदीय क्षेत्र व जिला नागौर भौगोलिक रूप से बहुत ज्यादा विस्तारित है और दशको से यहां के लोग अच्छे शैक्षणिक संस्थान की राह देख रहे हैं और नागौर संसदीय क्षेत्र के खींवसर, डीडवाना, परबतसर तथा मेड़ता में नवीन केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पास लंबे समय से विचाराधीन भी हैं और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन, नागौर नए के. वी. हेतु आवश्यक जमीन व वांछित संसाधनों की उपलब्धता करवाने हेतु प्रतिबद्ध है। ऐसे में सरकार, मेरे संसदीय क्षेत्र की विस्तृत भौगोलिक स्थिति, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मरुस्थलीय क्षेत्र को देखते हुए नियमों में शिथिलता देते हुए उक्त स्थानों पर जल्द से जल्द नवीन केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने के आदेश कराये।

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 29 मार्च, 2023 / 8 चैत्र, 1945 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे

तक के लिए स्थगित हुई।

—

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/ls>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के
अन्तर्गत प्रकाशित
